# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–96/2018 आरसीएमएस पोर्टल नम्बरः– 2018/00090

उनवानः–

1. रामदुलारा 2. मलखान (मृत दौराने वाद) पुत्रगण पानसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भमरौली तहसील व जिला धौलपुर ————————————————————वादीगण

बनाम

1. राजवीर 2. राकेश 3. श्रीराम 4. विनोद पुत्रगण पंचम सिंह, 5. हल्लो पुत्र राजवीर जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम भमरौली तहसील व जिला धौलपुर ——————————मूल प्रतिवादीगण

6. सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा राजाखेडा ———————————————— तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री किशन सिंह त्यागी, एडवोकेट वादीगण की ओर से

दिनांक 31/01/2025

## निर्णय

वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 328, 373 व 472 कुल किता 3 कुल रकवा 10 बीघा 4 विस्वा स्थित वाके ग्राम भमरौली तहसील व जिला धौलपुर है। विवादित कृषि भूमि में वादीगण 1/2 भाग तथा प्रतिवादीगण के पिता पान सिंह के भाई बेदरिया पुत्र डरूआ 1/2 भाग के अनिलिखित खातेदार काश्तकार है। बेदरिया पुत्र डरूआ का देहान्त लाऔलाद अर्सा करीब 4 माह पूर्व हो चुका है जिसके नजदीकी रिश्तेदार व कायम मुकाम वादीगण है। अन्य कोई विधिक वारिसान उत्तराधिकारी जीवित नही है। वेदरिया का समस्त तर्का वादीगण ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, लेकिन राजस्व अभिलेख में विरासत का इन्तकाल अभी तक नही हो पाया है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी में अकेले खातेदार काश्तकार एंव आधिपत्यधारी है। विवादित कृषि भूमि वर्तमान में सिंचाई की कमी होने के कारण रवी की फसल हेतु खाली पडी है लेकिन वास्तविक भौतिक कब्जा वादीगण का ही है। प्रतिवादीगण का विवादित कृषि भूमि से कोई संबध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण गांव के धनवान, बलवान तथा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लठैत, गिरोहबन्द, अवैध हथियारबंद आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है जो विवादित आराजी से वादीगण को अपनी दंबगई से महरूम करना चाहते है। वादीगण के पिता का बहुत पहले देहान्त हो चुका है। तथा वादीगण के चाचा बेदरिया का देहान्त भी लगभग 4 माह पूर्व हो गया है।जिससे वादीगण के उपर से मुखिया का साया उठ गया है और वादी की वाहन दुर्घटना हो गई है तथा वादी संख्या 2 फेफडो की बीमारी से लम्बे समय तक बीमार रहा है। इसलिए वादीगण आर्थिक तंगी से बेहाल है। वादीगण की इन कमजोरियों का प्रतिवादीगण लाभ उठाते हुए विवादित आराजी से अपनी दबगंई का लाभ उठाते हुए वादीगण

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज0)

को बेदखल कर स्वय कब्जा करना चाहते है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध मूल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा नही करें तथा विवादित आराजी के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी ग्राम भमरौली तहसील व जिला धौलपुर संवत 2071–2074 प्रदर्स–1, प्रतिलिपि आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर दिनांक 29.10.2018 एंव प्रति रिपोर्ट सरपंच ग्रा.पं. भैंसेना पेश की मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र मलखान सिंह पुत्र पान सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भमरौली , रामवीर पुत्र सिद्धार जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुदिन्ना तहसील बाडी का शपथ पत्र पेश किया तथा बयान लेखबद्ध कराए।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किए जाने का कथन किया।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी प्रदर्स– 1 के अवलोकन से वादीगण 1/2 भाग के तथा वेदरिया पुत्र डरूआ 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहा है। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही हुआ है। वादीगण ने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना तथा कब्जा काश्त साबित किया है। अतः वादीगण मूल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर मूल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 328, 373 व 472 कुल किता 3 कुल रकवा 10 बीघा 4 विस्वा स्थित वाके ग्राम भमरौली तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के हिस्से की भूमि व कब्जे काश्त में दखलदांजी न करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31/01/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज0)